न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, डेगाना, जिला नागौर

बईजलास – श्री रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

स्व प्रार्थना पत्र संख्या – 06/2016

ीगण –

1. रामदेव पुत्र प्रभूसिंह जाति जाट
2. रामचन्द्र पुत्र प्रभू जाति खाती
3. जगदीश पुत्र प्रभू जाति खाती
4. केलकी पत्नि प्रभूराम जाति खाती
5. धापूड़ी पतिन शंकर जाति मेघवाल
6. प्रभू पुत्र काना जाति मेघवाल
7. चन्द्री पत्नि नारायण जाति मेघवाल
8. कुनाराम पुत्र नारायण जाति मेघवाल निवासीयान बिखरनियां खुर्द, तहसील डेगाना जिला नागौर राज.।

बनाम

प्रार्थी –

1. लखीराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी बिखरनियां खुर्द, तहसील डेगाना, जिला नागौर राज.।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट 1955

दिनांक : 06.11.2017

–:: निर्णय ::–

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट 1955 का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम छाबासर तहसील डेगाना के खेत खसरा नंबर 162 रकबा 06.72 है0 काश्त, कब्जा सुद आया हुआ है, ग्राम छाबासर की जमीन खसरा नंबर 155 रकबा 01.24 है0 अप्रार्थी लखीराम की खातेदारी की काश्त, कब्जा सुद स्थित है। खसरा नंबर 155 के दक्षिण में आम कटाणी रास्ता ग्राम खानपुरा से गोठड़ा आने जाने का आया हुआ है। प्रार्थीगण की खातेदारी सुदा जमीन ग्राम छाबासर के खसरा नंबर 162 में आयी हुई है, खसरा नंबर 162 से दक्षिणी तरफ अड़ो–अड़ खसरा नंबर 155 अप्रार्थी लखीराम का खेत आया हुआ है। प्रार्थीगण की जमीन खसरा नंबर 162 में आने जाने के लिए गाड़ी, छकड़ा, ट्रेक्टर–ट्रॉली, मवेशियान आदि लाने ले जाने का एकमात्र कदीमी व नजदीकी रास्ता कटाणी मार्ग खानपुरा से गोठड़ा से फटकर खसरा नंबर 155 की पश्चिमी माठ के सहारे–सहारे उत्तर–दक्षिणी लम्बाई में आया हुआ है, जिस रास्ते की चौड़ाई 16 फुट है। जो खसरा नंबर 162 व खसरा नंबर 155 के ट्रेस नक्शें में दर्शित है। जिसमें खसरा नंबर 162 में आने जाने का रास्ता लाल लाईन के मार्फत ए से बी है, उक्त मार्ग ए, बी रास्ता जो प्रार्थीगण की जमीन खसरा नंबर 162 में आने जाने का कदीमी से आया हुआ है। जिस रास्ता को मार्क ए स्थान पर मिट्टी का धोरा लगाकर अप्रार्थी लखाराम ने बंद कर दिया। जिससे प्रार्थीगण अपनी जमीन खसरा नंबर 162 की काश्त नहीं कर पा रहे है।

अतः प्रार्थीगण की खातेंदारी की काश्त सुदा जमीन ग्राम छाबासर के खसरा नंबर 162 रकबा 06.72 है0 में आने जाने के लिये गाड़ी छकड़ा, ट्रेक्टर–ट्रॉली, मवेशियान आदि को लाने ले जाने हेतु ग्राम खानपुर से गोठड़ा जाने वाला कटाणी रास्ता से फंटकर अप्रार्थी लखीराम के जमीन खसरा नंबर 155 की पश्चिमी माठ के सहारे–सहारे 16 फुट चौड़ाई का रास्ता दिलवाया जाकर रास्ता की जमीन की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम करावें। इस संबंध में अप्रार्थी के भूमि में

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

। जा रहे रास्ते की राशि नियमानुसार प्रार्थीगण अदा करने के लिये तैयार है। अतः प्रार्थीगण का र्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को वास्ते जवाबदेही जरिये नोटिस तलब किया या। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, जो शामिल पत्रावली है। दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई, त्रावली का अवलोकन किया गया तथा पटवारी हल्का से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया या, अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया, जिससे पटवारी हल्का पालड़ी कलां की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौजुदा स्थिति में प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 162 में आने जाने के लिये अप्रार्थी के खसरा नंबर 155 से रास्ता कम दुरी में प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्तर्गत धारा 251 ए के तहत स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 162 में आने ाने के लिये अप्रार्थी के खेत खसरा नंबर 155 में पटवारी हल्का पालड़ी कलां की मौका रिपोर्ट व जिरी नक्शानुसार मार्क सी से डी के सहारे–सहारे 4X137 मीटर कुल क्षेत्रफल 548 वर्गमीटर भूमि ास्ते में जाना बताया।

अन्तर्गत धारा 251 ए के काश्तकारी अधिनियम में रास्ता दिये जाने का प्रावधान ोने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पटवारी मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 162 में जाने का सबसे नजदीकी मार्ग खसरा नंबर 155 की पूर्वी माठ के सहारे–सहारे जिसकी लम्बाई 137 मीटर है व रास्ते की चौड़ाई 4 मीटर रखा जाना बताया गया है। रास्ते में जाने वाला कुल क्षेत्रफल 137X4 कुल रकबा 548 वर्ग मीटर भूमि रास्ते के लिये दिये जाने का आदेश दिया जाता है। अतः प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम छाबासर की डीएलसी दर की दुगुनी राशि तहसील कार्यालय डेगाना में जमा करावें। उक्त राशि जमा होने पर तहसीलदार डेगाना नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ते का अंकन एवं तरमीम कर रास्ता तय करें। पटवारी मौका रिपोर्ट को निर्णय का भाग समझा जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2017 को खुले इजलास में सुनाया गया, पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(रवीन्द्रकुमार)
सहायक कलक्टर एवं
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner